- वर्ष 2015 में बिजली तथा ट्रांसफार्मरों की चोरी करने एवं तार काटने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बिजली चोरी के खिलाफ छापामारी कर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गई।
- वर्ष 2015 में उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर पठन हेतु तथा विपत्र वितरण हेतु आउटसोर्सिंग के तहत् निजी क्षेत्र के लिए रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाईजी नियुक्त किया गया। इन फ्रेंचाईजी द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर में जाकर मीटर पठन, विपत्र वितरण एवं राजस्व वसूली की गई।
- वर्ष 2015 में ब्लूटूथ प्रिंटर डिवाइस के माध्यम से मोबाईल बेस्ड स्पॉट बिलिंग राज्य के मधुबनी एवं लखीसराय जिलों में पायलट बेसिस पर क्रियान्वित किया गया, जिसे अन्य गैर-पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (Non-R-APDRP) क्षेत्र में लागू करने की कार्ययोजना प्रारंभ की गयी।
- वर्ष 2015 में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (R-APDRP) योजना के तहत् 71 शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए संपूर्ण आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिष्ठापित करने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें मीटरींग, मीटर रीडिंग, बिलिंग एवं कलेक्शन, ऊर्जा लेखांकन तथा ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य शामिल है।
- वर्ष 2015 में उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु बिहार के ग्रामीण बैंकों, सहज बसुधा केन्द्र, एयरटेल मनी, माई मोबाईल, वोडाफोन, केनरा बैंक के साथ ऑनलाईन माध्यम द्वारा भुगतान की व्यवस्था की गई।
- वर्ष 2015 में ब्लॉक स्तर पर (अवर प्रमण्डल अवस्थित ब्लॉक को छोड़कर) उपभोक्ताओं से विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु कलेक्शन काउन्टर की स्थापना की गई।
- वर्ष 2015 में राज्य में अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के तहत अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयत्रों यथाः बगास बेस्ड को-जेनरेशन प्लांट-82.5MW, बायोमास बेस्ड को-जेनरेशन प्लांट 1 डॅ एवं स्मॉल हाइड्रो- 59MW का परिचालन किया गया।
- वर्ष 2015 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा 150 डॅ सोलर फोटो वोल्टायक पावर प्लांट की स्थापना और उत्पादित बिजली को निर्धारित टैरिफ के आधार पर क्रय करने की कार्रवाई की गई।
- वर्ष 2015 में ऊर्जा के अपरम्परागत स्त्रोतों यथाः पनबिजली, सौर ऊर्जा तथा बायोडीजल को प्रोत्साहित किये जाने के तहत बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा 10.7 मेगावाट के 9 लघु जल विद्युत परियोजनाएँ पूर्ण किया गया एवं 33.3 मेगावाट के 15 लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2015 में 100 मेगावाट सोलर पावर क्रय हेतु पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट (पी.पी.ए.) हस्ताक्षरित किया गया।
- बिहार सौर क्रान्ति सिंचाई योजना के अन्तर्गत कोसी क्षेत्र के पांच जिलों में 521 सोलर पम्प के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया गया। सोलर रूफटॉप पावर प्लांट योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों/परिसर में कुल 340 KWP क्षमता के सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट अधिष्ठापित किया गया।
- वर्ष 2015 में जल-विद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं का पूर्ण सर्वेक्षण कर ऐसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन निजी निवेश के माध्यम से कराने हेतु महानन्दा नदी पर 17 स्थलों को चिह्नित करने के बाद प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट (पी0एफ0आर0) तैयार किया गया, जिसकी संभावित क्षमता (250 मेगावाट) है।
- वर्ष 2015 में ऊर्जा प्रक्षेत्र के कार्यों की प्रोपर मॉनिटरिंग एवं ससमय कार्यन्वयन हेतु जिला स्तर पर अलग से विद्युत कार्यपालक अभियंता/सहायक विद्युत अभियंता/कनीय विद्युत अभियंता का पद सृजित करते हुए पदस्थापन की गई। कार्य में एकरूपता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय स्तर पर सक्षम एवं अनुभवी पदाधिकारियों की टीम मुख्य अभियंता, स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0) के नेतृत्व में गठन की गई।
- वर्ष 2015 में उपभोक्ताओं एवं आम लोगों की विद्युत संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों के सम्यक निदान हेतु **केन्द्रीयकृत कस्टमर केयर सेन्टर की स्थापना** की गई।
- वर्ष 2015 में उपभोक्ताओं की सुविधा विस्तार के क्रम में फ्यूज कॉल की समस्या के ससमय निष्पादन हेतु अलग से सामान एवं कार्य बल तैनात किया गया। इसकी सतत् निगरानी शीर्ष पदाधिकारियों के क्षेत्रीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान प्रमुखता से की जाती है।
- वर्ष 2015 में कम्पनियों द्वारा परियोजनाओं के बेहतर, सुचारू एवं त्वरित रूप से कार्यान्वयन हेतु नये स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, टेक्निकल स्पेसीफिकेशन एवं भुगतान प्रक्रिया को निर्धारित किया गया। कम्पनियों द्वारा सामानों के क्रय में पारदर्शिता एवं बेहतर प्रबन्धन हेतु प्रोक्योरमेंट मैनुअल तैयार किया गया।
- वर्ष 2015 में मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से उपभोक्ता परिसर में ही मोबाईल से मीटर रिडिंग एवं बिलिंग का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2015 में हाई टेंशन (HT) एवं लो टेंशन इन्डस्ट्रीयल सर्विस (LTIS)-II उपभोक्ताओं का मुख्यालय स्तर से रिमोट मीटर रिडिंग करते हुए विपत्रीकरण किया गया

वर्ष 2015 से 2020 तक किये गए कार्य

- उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (UDAY) -राज्य के विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय एवं परिचालन व्यवस्था को सुद्दढ़ करने एवं राज्य के हर घर को 24x7 विद्युत आपूर्ति करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं दोनो वितरण कंपनियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता पर 22 फरवरी, 2016 को हस्ताक्षर किया गया।
- इस समझौता के अंतर्गत वितरण कंपनियों के वित्तीय एवं परिचालन व्यवस्था को सुद्दढ़ करने के लिए योजनाओं यथा फीडर एवं ट्रांसफार्मर का अनिवार्य मीटरिंग, कन्ज़्यूमर इंडेक्सिंग एवं जी0आई0एस0 मैपिंग, ट्रांसफार्मर, मीटर आदि का उन्नयन एवं बदलाव, 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन, माँग के अनुरुप विद्युत प्रबंधन, उपभोक्ताओं को ऊर्जा चोरी रोकने से संबंधित शिक्षा, कम ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस वाले क्षेत्रों में अधिक विद्युत आपूर्ति आदि कार्यों को एक निश्चित समयावधि के अंदर सुनिश्चित किया जाना है।

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

- बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करने के उद्देश्य से 7 निश्चय से संबंधित **'हर घर बिजली'** निश्चय योजना का शुभारंभ 15 नवम्बर 2016 को किया गया। इस निश्चय के तहत मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के माध्यम से आगामी 2 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों मे सभी घरों तक मीटर के साथ विद्युत संबंध प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- 'हर घर बिजली' निश्चय योजना को क्रियान्वित कर सभी गाँवों का विद्युतीकरण करते हुए सारे इच्छुक परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का कार्य मिशन मोड में करते हुए तय समय-सीमा से दो माह पूर्व अक्टूबर, 2018 तक पूरा कर लिया गया।
- राज्य के 66 शहरों में SAP Software पर Android Mobile के माध्यम से स्पॉट बिलिंग की सुविधा से वंचित राज्य के शेष उपभोक्ताओं (छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित) को भी NIC सॉफ्टवेयर पर Android Mobile के माध्यम से स्पॉट बिलिंग का कार्य माह जनवरी, 2017 से शुरु किया गया।
- वर्ष 2017 में बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2017 में काँटी ताप विद्युत प्रतिष्ठान क्षमता विस्तार परियोजना के तहत इकाई संख्या 3 एवं 4 का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2017 में दीनदयाल ग्राम विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 296 शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण, 1312 कृषि हेतु समर्पित अलग फीडर का निर्माण, 70651 नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण तथा खराब मीटरों को बदलने का कार्य प्रारंभ किया गया।
- कृषि के सिंचाई हेतु विद्युत संबंधों की अधिक मांग होने के कारण राज्य योजना के अंतर्गत एक नई योजना **मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना** की स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु विद्युत संबंध प्रदान करना है।

  इस योजना के माध्यम से अबतक लगभग 3.70 लाख इच्छुक किसानों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है तथा किसानों को कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसे/यूनिट की दर से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की माँग को पूरा करने में अक्षय ऊर्जा की बेहतर संभावना और ऊर्जा उपलब्धता को सुगम बनाने के साथ-साथ स्थानीय रोजगार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की संवर्द्धन नीति-2017 लागू की गयी।
- वर्ष 2017 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास की परियोजनाओं का राज्य में क्रियान्वयन एवं जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने हेतु बिहार रिन्युएबुल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) को नोडल एजेंसी बनाया गया।
- वर्ष 2018 में विद्युत के संचरण एवं वितरण की क्षति में क्रमिक कमी करने की योजना के तहत लक्ष्य 21 प्रतिशत के विरुद्ध 28.68 प्रतिशत उपलब्धि रही तथा वर्ष 2019-20 में लक्ष्य 24 प्रतिशत के विरुद्ध 36.60 प्रतिशत उपलब्धि रही।
- वर्ष 2018 में राज्य के अंतर्गत सभी ताप शक्ति उत्पादन केन्द्रों को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPCL) को हस्तांतरित किया गया।
- वर्ष 2019 में अक्षय ऊर्जा स्त्रोत से विद्युत उत्पादन अंतर्गत 10 सौर ऊर्जा एवं 08 बगास की योजनाओं से कुल 229 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया।
- पुराने एवं जर्जर तारों को चरणबद्ध तरीके से बदला गया। वर्तमान में 100 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ 73,258 सर्किट किलोमीटर तारों को बदला गया। पुराने जर्जर तारों को बदलने के लिए राज्य योजना अंतर्गत 3802 करोड़ 62 लाख रुपये की योजना से राज्य भर में 33 केवी एवं 11 केवी तथा लो टेंशन (LT) के कुल 87,334 सर्किट किलोमीटर लंबाई के जर्जर तारों को बदलने का कार्य दिसंबर 2019 में पूरा कर लिया गया है।
- 1 सितंबर, 2019 से स्मार्ट प्री-पेड मीटर अधिष्ठापन का कार्य प्रारंभ किया गया। स्मार्ट प्री-पेड मीटर अधिष्ठापन में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। अभी तक 25 लाख से अधिक स्मार्ट प्री-पेड मीटर का अधिष्ठापन हुआ है। बचे हुए शहरी एवं सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 करोड़ 48 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्री-पेड मीटर उपलब्ध कराने हेतु 15074 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृत की गई है।
- 01 जनवरी, 2020 को **सुविधा एप** लांच करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इस एप के अंतर्गत बिजली बिल भुगतान, बिजली में त्रुटि सुधार, लोड परिवर्तन के लिए ऑनलाईन आवेदन सहित अन्य सुविधाएं सहजता से उपलब्ध है।

वर्ष 2020 से अबतक

- राज्य में अवस्थित महत्वपूर्ण जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु **नीचे मछली ऊपर बिजली योजना** वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत दरभंगा जिले में 2MWp क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन एवं सुपौल जिला में 525 KWp क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन करते हुए मार्च, 2022 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया।

  फ्लोटिंग सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन तो किया ही जा रहा है साथ ही ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा देते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम किया जा रहा है। एक तीर से कई निशाने लगाकर बिहार सरकार काफी मुनाफा कमा रही है।
- सात निश्चय-2 संबंधित **'स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव'** निश्चय के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु राज्य में 15 सितंबर, 2022 से **मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना** संचालित है। सभी पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में औसतन 10-10 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाईट के अलावा हर पंचायत में 10 अतिरिक्त सोलर लाईट की व्यवस्था की गयी है जिनका उपयोग उस पंचायत के बड़े वार्डों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों जैसे-स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत सरकार भवन आदि के लिए किया जा सकेगा। सोलर स्ट्रीट लाईट से गाँव में रातभर रोशनी मिलती रहेगी।

बेटा-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान ।।

Nov. 2024

- इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध रूप से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके तहत लक्षित 64,456 वार्डों में 6,44,560 सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 1,10,912 सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किया गया है।
- 7 निश्चय-2 से संबंधित हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय अंतर्गत ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण, पृथक फीडरों का निर्माण, विद्युत पम्प संबंधन एवं ट्रांसफार्मरों के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है।

  इसके तहत अबतक लक्षित 291 विद्युत उपकेन्द्र (33/11 केवी) का निर्माण, 1354 पृथक फीडर का निर्माण, 2,91,526 विद्युत पम्प संबंधन तथा 94,708 ट्रांसफार्मर (25/63 केवीए) का अधिष्ठापन किया गया।
- चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य के इच्छुक किसानों को पटवन हेतु मुफ्त 4 लाख 80 हजार कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने एवं कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने हेतु 6190 करोड़ 75 लाख रुपये की योजना पर कार्य जारी है।
- वर्ष 2020-21 वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण ऊर्जा विभाग के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। महामारी के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा लगाये गये लॉकडाउन तथा अन्य दिशा-निर्देशों के कारण दोनों वितरण कम्पनियों का बिलिंग एवं कलेक्शन में कमी आयी। फिर भी सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलते हुए वितरण कम्पनियों ने लॉकडाउन अवधि की भीषण गर्मी में भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति की।

  उपभोक्ताओं को अप्रैल से जून 2020 की अवधि में ई-मेल/एस0एम0एस0/ व्हाट्सऐप द्वारा औपबंधिक विपत्र उपलब्ध कराया गया तथा ऑनलाईन भुगतान हेतु अनुरोध किया गया। भुगतान नहीं करने की स्थिति में भी उपभोक्ताओं का लाईन नहीं काटा गया। डी0पी0एस0 (Delayed Payment Surcharge) की राशि को 1.25 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया। औद्योगिक एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के अप्रैल एवं मई महीने के डिमांड चार्ज में पूरी छूट दी गयी।
- वर्ष 2020-21 में विद्युत के संचरण एवं वितरण की क्षति में क्रमिक कमी करने की योजना के तहत लक्ष्य 35 प्रतिशत के विरुद्ध 32.14 प्रतिशत तथा वर्ष 2021-22 में लक्ष्य 29.75 प्रतिशत के विरुद्ध 30.42 प्रतिशत उपलब्धि रही।
- विद्युत के संचरण एवं वितरण में होने वाली क्षति को कम करने की योजना के तहत वर्ष 2022-23 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 22 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 19.96 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गई। वहीं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 31 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 28.15 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गई।
- राज्य में पूरी पारदर्शिता के साथ वास्तविक व्यय पर आधारित टैरिफ के निर्धारण की प्रक्रिया को देश में पहली बार लागू किया गया जिसे अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत देश में पहली बार बिहार में उपभोक्ताओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के रूप में विद्युत विपत्र में प्रति यूनिट अनुदान देना प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत उपभोक्ताओं की बिजली बिल में राहत के लिए 2023-24 में 13,114 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के घरेलू परिसरों में अधिष्ठापन पर सरकार द्वारा 45 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत हेतु अबतक 3764 सरकारी कार्यालयों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है।
- उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाने हेतु 'सुविधा केन्द्र' एवं 'सुविधा ऐप' बनाये गये हैं। विद्युत संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु टोल-फ्री नं0 1912 के अतिरिक्त ऑनलाईन शिकायत पोर्टल भी विकसित किया गया है।
- कजरा (लखीसराय) एवं पीरपैंती (भागलपुर) में बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की कार्रवाई की जा रही है।
- ऊर्जा की उपलब्धता आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रगति का मापदंड है। हाल के वर्षों में बिहार में बिजली की उपलब्धता के लिहाज से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आपूर्ति के घंटों और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता के कारण बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2011-12 में 134 यूनिट (किलोवाट-आवर) से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 329 यूनिट (किलोवाट-आवर) हो गयी। अर्थात एक दशक में इसमें 145.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

  राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के चलते राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और यह 31 मार्च 2023 को 1.90 करोड़ पहुँच गयी है। इसके साथ ही बिजली की चरम माँग (पीक डिमांड) भी पूरी हुई जो 2023-24 तक 7576 मेगावाट थी।

  उपभोक्ताओं में वृद्धि के साथ ही बिजली के मांग में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2022-23 में राज्य में बिजली की अनुमानित मांग 7,495 मेगावाट थी जो वर्ष 2024-25 में 18.9 प्रतिशत बढ़कर 8908 मेगावाट तथा 2025-26 में और भी बढ़कर 9743 मेगावाट हो जायेगी।

  राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में विद्युत की अनुमानित आवश्यकता के विरुद्ध इसकी उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में राज्य में विद्युत क्षेत्र में 330.7 करोड़ यूनिट की कमी थी, जो वर्ष 2022-23 में 403.4 करोड़ यूनिट सरप्लस हो गयी है।

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

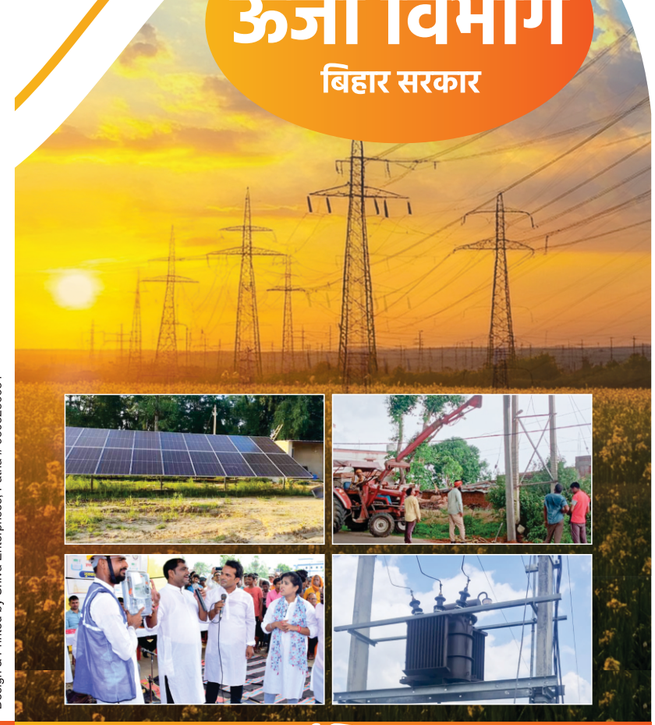

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

BSPHCL
SBPDCL Illuminating Lives
तमसो मा ज्योतिर्गमय

हमारा आधार, ऊर्जस्वित बिहार

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग
बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

राज्य सरकार **'न्याय के साथ विकास'** के सिद्धांत के आधार पर नीतियां बनाती है और उनके अनुसार कार्य करती है। **समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास कार्यों का लाभ सुनिश्चित** करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। राज्यवासियों को सुगमतापूर्वक **मूलभूत सुविधाएं** उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है तथा इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है।

वर्ष 2005 में बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में राज्य की बागडोर सौंपी। संसाधनों एवं आधारभूत संरचनाओं के अभाव में राज्य की जिम्मेवारी संभालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पाती थीं। लगातार बिजली की उपलब्धता लोगों के लिए मीलों दूर का सपना था। **इस वक्त बिहार एक ऐसा राज्य था, जहां बिजली का अपना उत्पादन नगण्य था और संचरण एवं वितरण की स्थिति ठीक नहीं थी। राजधानी पटना में लगभग 8 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हुआ करती थी। श्री नीतीश कुमार जी ने एक बेहतर कार्ययोजना के अंतर्गत काम करना शुरु किया।** राज्य सरकार द्वारा सभी चुनौतियों का सामना करते हुए **ऊर्जा के प्रक्षेत्र में सुधार के कई प्रयास किए गए,** जिनके फलस्वरुप उपलब्धियां भी मिलीं।

राज्य सरकार द्वारा लोगों के **घर-घर तक बिजली** पहुंचा दी गई है। **गांव हो या शहर हर जगह बिजली की निर्बाध रूप से आपूर्ति** हो रही है। इसके अतिरिक्त हर खेत तक सिंचाई उपलब्ध हो, इसके लिए कृषि फीडर से **किसानों को काफी कम दर पर बिजली मुहैया** कराई जा रही है। इसका फायदा सीधे किसानों को मिल रहा है। बिहार में **ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम** चल रहा है। इससे अब ग्रामीण क्षेत्रों में रात में भी भरपूर रोशनी सुनिश्चित हो रही है।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण राज्य में विद्युत आपूर्ति की अवधि एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पहले 5-6 घंटें बिजली रहती थी, वहीं अब 22-23 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में जहाँ पहले 10-12 घंटे बिजली रहती थी, वहीं अब 23-24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसका यह परिणाम है कि इसरो द्वारा ली गयी तस्वीर के अनुसार बिहार में रात्रिकालीन प्रकाश में 474 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो जो देश में सर्वाधिक है।

राज्य में वर्ष 2005 में पावर सब स्टेशनों की संख्या 268 थी, जो अब बढ़कर 1235 हो गयी है। साथ ही ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या 45 से बढ़कर 164 हो गई है। राज्य में बिजली की पीक डिमांड पहले 700 मेगावाट थी, जो अब 7576 मेगावाट हो चुकी है। राज्य में संचरण लाइन की कुल लंबाई बढ़कर 19527 सर्किट किलोमीटर हो गयी है, जो वर्ष 2005 के मुकाबले लगभग 300 प्रतिशत अधिक है। 2005 में संचरण की पावर इवैक्यूएशन क्षमता मात्र 1000 मेगावाट थी, आज यह बढ़कर 13,880 मेगावाट हो गई है।

विद्युत के संचरण एवं वितरण की क्षति में कमी लाने के लिए कई सुधारात्मक उपाए किये जा रहे हैं, जिसमें बिजली चोरी पर प्रभावशाली ढंग से अंकुश लगाने के प्रयास भी किए गए हैं। साथ ही खराब कंडक्टर की जगह नए कंडक्टर लगाये गए, जले हुए और खराब ट्रांसफार्मर बदले गए, बिना मीटर के विद्युत संबंध के मामले में मीटर संस्थापित किए गए, तारों को बदलकर ए0बी0 केबल लगाए गए, खराब मीटरों को बदला गया, ग्रिड उपकेंद्रों के निर्माण किया गया, शक्ति उपकेंद्रों के निर्माण किया गया है। साथ ही राज्य में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। राज्य में 24 घंटे के अंदर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार गत 18 वर्षों में श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गयी है।

वर्ष 2005 से 2010

- वर्ष 2006 में काँटी और बरौनी बिजली उत्पादन इकाई को चालू करने हेतु केन्द्रीय इकाइयों से समझौता किया गया।
- वर्ष 2006 में पीरपैंती, कटिहार और नवीनगर में निजी क्षेत्रों द्वारा करीब पाँच हजार मेगावाट क्षमता वाली इकाइयों की स्थापना हेतु अभिरुचि दिखलायी गई।
- वर्ष 2006 में सरकार के प्रयास से केन्द्रीय प्रक्षेत्र के इकाइयों से विद्युत् के आवंटन में बढ़ोत्तरी हुई।
- वर्ष 2006 में सरकार के प्रयासों से बन्द पड़े मुजफ्फरपुर विद्युत ताप केन्द्र के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण की योजना की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा प्रदान की गयी एवं इसके कार्यान्वयन हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) एवं विद्युत बोर्ड का संयुक्त उपक्रम का गठन किया गया। साथ ही बरौनी ताप विद्युत् केन्द्र के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ किया गया।
- राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया।
- पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में जले हुए ट्रान्सफॉर्मरों को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर पर बकाये राशि के 75 प्रतिशत का न्यूनतम भुगतान की शर्त थी। वर्ष 2006 में इस शर्त को हटा लिया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में जले हुए ट्रान्सफॉर्मरों को शीघ्र बदलने का निर्देश दिया गया।
- वर्ष 2006 में ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्क-शॉप में ट्रान्सफॉर्मर बनाने की क्षमता में वृद्धि की गयी।
- विद्युतीकरण में तेजी लाने की के उद्देश्य से पोल फैक्ट्रियों के उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि की गयी। वर्ष 2006 में करीब 15,000 पोल का निर्माण कर ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया।
- उपभोक्ताओं को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2006 में राज्य में नये विद्युत् संबंध 72 घंटे के अन्दर मुहैया कराने का निर्देश निर्गत किया गया। साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कैम्प का आयोजन कर उनके समस्याओं का निपटारा करने का भी निर्देश निर्गत किया गया।
- पहले नये विद्युत् संबंधों के लिए स्वीकृत नक्शे की आवश्यकता निर्धारित थी, वर्ष 2006 में इसमें छूट देते हुए अब उपभोक्ताओं द्वारा दायर शपथ-पत्र के आधार पर ही उन्हें विद्युत् संबंध उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- वर्ष 2006 में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त लोड स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया। इसके उपरांत उपभोक्ताओं द्वारा स्वतः घोषित लोड के आधार पर उनका लोड बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2006 में उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने एवं विद्युत् बोर्ड के राजस्व में वृद्धि हेतु एक मुश्त भुगतान योजना की शुरुआत की गई। उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त बकाये के भुगतान पर विलम्ब शुल्क माफ कर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत 126 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी।
- अक्टूबर 2007 में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC), बिहार राज्य बिजली बोर्ड एवं बिहार सरकार के बीच नवीनगर में 1980 मेगावाट के ताप विद्युत् गृह की स्थापना हेतु संयुक्त उपक्रम कम्पनी बनाये जाने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2007 में कांटी थर्मल पावर परियोजना के बेहतर संचालन हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) और बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (BSEB) के सहयोग से एक संयुक्त उपक्रम "कांटी पावर जेनरेटिंग कम्पनी" की स्थापना की गई।
- दिनांक 01.04.06 से 31.03.11 के बीच वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन की तिथि से सात वर्षों के लिए विद्युत शुल्क से विमुक्त किया गया।
- वर्ष 2007 में मुजफ्फरपुर और बरौनी पावर प्लांट में 500-500 मेगावाट की क्षमता विस्तार की प्रकिया प्रारंभ की गई।
- वर्ष 2007 में ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत 10,450 गावों में विद्युतीकरण हेतु आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2007 में 250 फीडरों में फ्रेंचाइजी की नियुक्ति की गयी, जिससे 250 प्रतिशत तक राजस्व वसूली में वृद्धि हुई।
- वर्ष 2007 में पटना शहर के न्यू कैपिटल क्षेत्र में भूमिगत केबलिंग का कार्य प्रारंभ किया गया तथा अन्य क्षेत्रों के केबलिंग कार्य हेतु परियोजना के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2007 में अगनूर, ढ़ेलाबाग एवं नासरीगंज में 1000-1000 किलोवाट क्षमता की तीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं पूर्ण की गई।
- वर्ष 2007 में उप-संचरण प्रणाली फेज-2 की योजना के कार्यान्वयन हेतु पावर ग्रिड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (BSEB), भारत सरकार तथा बिहार सरकार के बीच समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- वर्ष 2008 में नबीनगर, औरंगाबाद में 1960 मेगावाट विद्युत क्षमता के निर्माण हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) के बीच संयुक्त उपक्रम के (Joint Venture) एकारनामा पर हस्ताक्षर किया गया।
- वर्ष 2008 में बरौनी और कांटी पावर प्लांट में 500-500 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत क्षमता विस्तार की स्वीकृति दी गई।
- वर्ष 2008 में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र से संबंधित 100 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले विद्युत गृहों की स्थापना हेतु कुल 12 निजी निवेश के प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 4 प्रस्तावों यथाः मेसर्स जास इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड, पटना (2640 मेगावाट), मेसर्स विकास मेटल एण्ड पावर लिमिटेड, कोलकाता (500 मेगावाट), मेसर्स नालन्दा पावर कम्पनी, कोलकाता (2000 मेगावाट), मेसर्स आधुनिक पावर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड, कोलकाता (1000 मेगावाट) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- वर्ष 2008 में विद्युत उप-संचरण प्रणाली फेज-2 की योजना स्वीकृत और ग्रिडों के निर्माण हेतु स्थलों के चयन की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।
- वर्ष 2008 में कजरा, चौसा और पीरपैंती विद्युत केन्द्रों के लिए भूमि चिह्नित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2008 में जयनगर एवं त्रिवेणी लघु जल विद्युत परियोजना का कार्य पूर्ण करते हुए ट्रायल एवं टेस्टिंग कार्य प्रारंभ किया गया।
- राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद् द्वारा 14 कंपनियों के तहत कुल 13,220 मेगावाट विद्युत क्षमता विकसित करने की योजना अनुमोदित की गई।
- वर्ष 2009 में नबीनगर ताप विद्युत परियोजना (3x600 MW) के लिए 2830 एकड़ भूमि चिह्नित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ की गई।
- वर्ष 2009 में बिहार पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा टैरिफ प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर पीरपैंती (भागलपुर), कजरा (लखीसराय) एवं चौसा (बक्सर) में 1,320 मेगावाट प्रति पावर प्लान्ट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई।
- वर्ष 2009 में ऊर्जा प्रक्षेत्र में चिह्नित एवं नए स्थलों को विकसित कर टैरिफ आधारित प्रतिस्पद्र्धात्मक बिडिंग के आधार पर ताप विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंसियल सर्विस (IL&FS) के साथ संयुक्त साझेदारी में संयुक्त उपक्रम कम्पनी बनाने का निर्णय लिया गया तथा वर्ष 2010 में संयुक्त उपक्रम, **बिहार पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी** गठित की गई।
- वर्ष 2010 में कांटी थर्मल पावर परियोजना के बेहतर संचालन हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) और बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (BSEB) के सहयोग से एक संयुक्त उपक्रम कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। इस उपक्रम के माध्यम से 390 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन की योजना निर्धारित किया गया।
- वर्ष 2010 में नवीनगर ताप विद्युत परियोजना (3x 600MW) के लिए भूमि चिह्नित की गई। भूमि उपलब्ध कराने तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु 2009-10 में 128 करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2010 में 3,067 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राज्य योजना के अन्तर्गत बरौनी ताप विद्युत गृह में 2x250 मेगावाट विस्तार परियोजना की स्वीकृति दी गई।
- वर्ष 2010 में मुजफ्फरपुर ताप विद्युत गृह में 2x195 MW विस्तार परियोजना की स्वीकृति दी गई एवं इस हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 2009-10 में रु0 31.42 करोड़ ऋण दिया गया।
- वर्ष 2010 में रुरल इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (RIDF)-13 के अन्तर्गत 4 (चार) स्थानों यथा धोबा, कटन्या, बरवल एवं मथौली में 6.4 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना स्वीकृत किया गया।
- वर्ष 2010 में रुरल इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (RIDF)-15 के अन्तर्गत अररिया जिला के बथनाहा में 4x2 मेगावाट लघु विद्युत जल परियोजना के निर्माण हेतु 6,937.35 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई।

वर्ष 2010 से 2015 के दौरान किये गए कार्य

- नवीनगर ताप विद्युत् परियोजना (3x600MW) के लिए वर्ष 2010-11 में 308 करोड़ रुपये एवं 2011-12 में 187.35 करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराया गया।
- बरौनी ताप विद्युत् गृह (2x250 MW) विस्तार परियोजना के लिए वर्ष 2010-11 में 60 करोड़ रुपये तथा 2011-12 में 100 करोड़ रुपये विद्युत् बोर्ड को उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2011 में मुजफ्फरपुर ताप विद्युत गृह (2x195MW) विस्तार परियोजना हेतु बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को वर्ष 2010-11 में 140 करोड़ रुपये ऋण दिया गया तथा वर्ष 2011-12 में 151.12 करोड़ रुपये की राशि कर्णांकित की गई।
- वर्ष 2011 में विद्युत के संचरण एवं वितरणी में हुई क्षति (AT & C Loss) में कमी लाने के लिए राज्य के 71 शहरों में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (R-APDRP) की योजना का कार्यान्वयन किया गया। साथ ही मीटरों की त्वरित् जाँच हेतु विद्युत् बोर्ड द्वारा पटना में एक हाइटेक लेबोरेटरी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2011 में बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत् विपत्र के भुगतान हेतु पटना में 10 जगह एनीटाइम पेमेंट (ATP) काउन्टर संचालित किया गया।
- वर्ष 2011 में बोर्ड द्वारा पूरे राज्य में आउट सोर्सिंग के माध्यम से मीटर रीडिंग, कम्प्यूटराईज्ड बिलिंग तथा विद्युत् विपत्र वितरण की व्यवस्था की गई।
- वर्ष 2011 में विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 153 के अन्तर्गत पेसू क्षेत्र, पटना, मगध क्षेत्र, गया तथा तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया। पटना एवं गया में विशेष न्यायालय कार्यरत है।
- वर्ष 2011 में रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (RIDF)-8 के अन्तर्गत् स्वीकृत 15 लघु जलविद्युत् परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं में कुल 8.07 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया।
- अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के पर्याप्त दोहन तथा प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक अक्षय ऊर्जा नीति "नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देने के लिए बिहार नीति-2011" अधिसूचित किया गया। इस अक्षय ऊर्जा नीति का उद्देश्य सौर, पवन, बायोमास आदि सहित नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देते हुए जीवाश्म ईंधन से जुड़े स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों एवं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।
- वर्ष 2012 में राज्य के ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पाँच कम्पनियों यथाः बिहार स्टेट पावर (हॉलिडंग) कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, तथा दो वितरण कम्पनी यथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को पुनर्गठित किया गया।
- वर्ष 2012 में ए.टी.एम., सहज, वसुधा केन्द्र, ऐनीटाईम पेमेंट (एटीपी) मशीन तथा नेट बैंकिंग द्वारा उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विपत्र के भुगतान के बहुविधिक विकल्पों को अपनाने की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2012 में उपभोक्ताओं के क्षतिग्रस्त मीटर तथा मीटरविहीन परिसरों में मीटर अधिष्ठापन/बदलने का व्यापक अभियान प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2012 में बिजली विपत्र, ट्रांसफार्मर बदलने आदि से संबंधित मामलों के लिए बोर्ड में हेल्पलाइन नं0 9430807821 को कार्यरत किया गया।
- वर्ष 2012 में कृषि रोड मैप के अन्तर्गत इन्द्रधनुषी क्रांति के लिए बिजली की उपलब्धता एवं कृषि कार्यों के लिए डेडिकेटेड फीडर हेतु सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया। पटना जिला को पायलट प्रोजेक्ट के रुप में चयनित किया गया।
- वर्ष 2012 में पेसू (पटना) क्षेत्र में न्यू कैपिटल विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के ओवरहेड तारों को भूमिगत केबल में परिवर्तित करने का कार्य पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2012 में पेसू के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में ऑन स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था प्रारंभ की गई।
- वर्ष 2012 में पटना शहर में डेडिकेटेड फीडर द्वारा भूमिगत केबुल से कुल 73 अदद् पेयजल पम्पों को ऊर्जान्वित किया गया।
- वर्ष 2013 में वर्षों से बंद बिजली उत्पादन प्रारंभ करने के राज्य सरकार के प्रयासों को पहली सफलता मिली। काँटी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की 110 मेगावाट की एक इकाई का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कर बिजली उत्पादन प्रारंभ किया गया। साथ ही 195 मेगावाट की दो नई इकाईयों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2013 में बरौनी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट में 110 मेगावाट की दो इकाईयों का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्य तथा 250 मेगावाट की दो नई इकाईयों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार के सघन प्रयासों से इन नई इकाईयों के लिए टैपरिंग कोल लिंकेज की सुविधा मिली।
- वर्ष 2013 में नवीनगर स्टेज-1 में 660 मेगावाट की तीन इकाईयों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से राज्य में अपना उत्पादन शुरु करने हेतु कोयला मंत्रालय से कोल ब्लॉक आवंटित किया गया।
- वर्ष 2013 में चौसा (बक्सर) में 660 मेगावाट की दो इकाईयों के पावर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु सतलज जल विद्युत् निगम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया।
- वर्ष 2013 में पीरपैंती (भागलपुर) एवं कजरा (लखीसराय) में भी 2x660 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2013 में बाँका में अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट (लगभग 4000 मेगावाट) की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजा गया।
- वर्ष 2013 में रजौली में न्यूक्लियर ऊर्जा प्रतिष्ठान (लगभग 2000 मेगावाट) की स्थापना हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
- बिजली बिल के भुगतान हेतु ATM तथा ATP मशीन, नेट बैंकिंग के साथ-साथ मोबाईल बैंकिंग, मोबाईल बैंक तथा ग्रामीण बैंक में बिल जमा कराने की सुविधा प्रारंभ की गई।
- वर्ष 2013 में संचरण एवं वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा स्पेशल प्लॉन के अंतर्गत 9,200 करोड़ रुपये की योजनाएँ स्वीकृत की गई तथा कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2013 में राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णरुपेण ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। 11 जिलों में 3,662.19 करोड़ रुपये की योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2013 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु 245.93 करोड़ रुपये की लागत पर "मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरण योजना" स्वीकृत किया गया। "बिहार सौर क्रांति योजना" में सोलर वाटर पम्प लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया तथा 250 मेगावाट सौर ऊर्जा के क्रय हेतु विद्युत् कम्पनी को सहायता देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
- वर्ष 2013 में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु 'ऊर्जा संरक्षण भवन नीति', सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए 'सोलर ऊर्जा नीति' एवं बायोमास को प्रोत्साहन देने के लिए 'बायोमास ऊर्जा नीति' के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
- ग्रामीण उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति एवं सेवा उपलब्ध कराने के लिए रेवेन्यू फ्रेन्चाईजी स्कीम प्रारंभ की गई। छोटे उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने हेतु **ओन योर ट्रांसफार्मर योजना** की शुरुआत की गई।
- वर्ष 2014 में गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अररिया एवं मधुबनी जिला में "जीविका" के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को शत-प्रतिशत अनुदानित दर पर 5,000 अदद् सोलर लालटेन वितरित किया गया।
- वर्ष 2014 में सोलर फोटो वोल्टाईक योजना के तहत गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अररिया, मधुबनी एवं पूर्णिया जिलों में 4,900 अदद् सौर घरेलू लाईट अनुदानित दर पर "जीविका" के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित किया गया।
- वर्ष 2014 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ठम्प्)योजना के तहत पटना नगर निगम में परंपरागत स्ट्रीट लाईट को बदलकर 366 अदद एल0ई0डी0 लाइट अधिष्ठापित किया गया।
- वर्ष 2014 में सुपौल जिलान्तर्गत कटैया जल विद्युत परियोजना (4x4.8MW) की चार इकाइयों में से तीन इकाइयों का जीर्णोद्धार कर विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2015 में स्थापित प्लांटो का आधुनिकीकरण कर प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित काँटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (KBUNL) की इकाई संख्या 1 एवं 2 (2x110MW) के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। इन इकाईयों में क्रमशः नवम्बर 2013 एवं नवम्बर 2014 से 220डॅ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया। आधुनिकीकरण के पश्चात् प्लांट लोड फैक्टर औसतन 30 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत से भी अधिक हो गया।
- वर्ष 2015 में मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित काँटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (KBUNL) की इकाई संख्या 3 एवं 4 (2x195MW) के विस्तारीकरण की योजना के तहत कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2015 में बेगूसराय जिले में स्थापित बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान की इकाई संख्या 6 एवं 7 (2x110MW) के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्य किया गया तथा इकाई संख्या 8 एवं 9 (2x250MW) के विस्तारीकरण योजना का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2015 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड एवं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (KBUNL) के 50:50 के संयुक्त उपक्रम, नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा नबीनगर में नये ताप विद्युत केन्द्र (3x660MW) कुल 1980MW (स्टेज-1) के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2015 में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPCL) बाढ़ में 660 मेगावाट के एक यूनिट का उत्पादन प्रारंभ किया गया।
- सरकारी एवं निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन के नये प्लांट लगाने को प्राथमिकता देते हुए राज्य के तीन ग्रीन फिल्ड ताप विद्युत परियोजना- चौसा (बक्सर), कजरा (लखीसराय) एवं पीरपैंती (भागलपुर) (प्रत्येक की क्षमता 2x660 MW) का समझौता ज्ञापन (MoU) क्रमशः सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ जनवरी, 2013 और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPCL) एवं नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) के साथ फरवरी, 2014 को हस्ताक्षरित की गई।
- वर्ष 2015 में बाँका जिला में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (लगभग 4000MW) के लिए करीब 2500 एकड़ जमीन चिह्नित की गई। केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से 120 क्यूसेक गंगा जल के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा कोल ब्लॉक के आवंटन हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया।
- वर्ष 2015 में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत राज्य के कुल 39073 राजस्व ग्रामों में से 36504 राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया। 273 ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य रिकॉर्ड समय में पूर्ण किया गया।
- वर्ष 2015 में किसानों को प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन देने की व्यवस्था की गई। फरवरी 2015 में कृषि हेतु नये विद्युत कनेक्शन के लिए कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 1000 से भी ज्यादा नये विद्युत कनेक्शन दिए गये।

बिटिया मेरी अभी पढ़ेगी, शादी की सूली नहीं चढ़ेगी।

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे,
कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह-सवेरे।

बेटी है एक वरदान। दहेज देकर मत करो अपमान।।

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में शिकायत
टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।